

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक.....93


दिनांक 07/05/2015

विषय :- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के निर्माण कार्य/परियोजना/योजनाओं के एन.आई.टी. एवं तकनीकी अनुमोदन देने की शक्तियाँ बाबत।

प्रायः यह देखा गया है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के निर्माण कार्यक्षेत्र के अधिकारियों में एन.आई.टी. एवं तकनीकी स्वीकृति के वित्तीय शक्तियों के अनुमोदन के अधिकार बाबत संशय की स्थिति रहती है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के निर्माण कार्य/परियोजना/योजनाओं के एन.आई.टी. एवं तकनीकी अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियाँ निम्नानुसार होगी :-

स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी	वित्तीय शक्तियाँ
अपर आयुक्त	₹1.00 करोड़ से अधिक
उपायुक्त	₹1.00 करोड़ तक


आयुक्त 6/5/15


छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

क्रमांक 1142 /आ.आ./तक.शाखा/मुख्या./15

रायपुर, दिनांक 07/05/2015

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
2. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
3. मंडल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर ।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर ।
6. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्र.-1/2/3/4, रायपुर/
राज.परि.संभाग क्र.-1/2, रायपुर/दुर्ग/परि. संभाग दुर्ग/विद्युत संभाग/राजनांदगांव/कोरबा/
बिलासपुर/रायगढ़/जगदलपुर/अम्बिकापुर/कोण्डागांव ।
7. लेखाधिकारी (ब)/(आडिट) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
की ओर सूचनार्थ ।


आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर